**भारत सरकार**

**श्रम और रोजगार मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1176**

**सोमवार, 06 दिसम्बर, 2021/15 अग्रहायण, 1943 (शक)**

## न्यूनतम वेतन में वृद्धि

**1176. श्री डॉ. जी.रणजीत रेड्डी:**
**डॉ. वेंकटेश नेता बोरालाकुंता:**
**श्री दयाकर प्रसुनूरी:**
**श्रीमती कविता मलोथू:**

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय एक वर्ष के लिए न्यूनतम वेतन में अनिवार्य वृद्धि को टालने को उचित ठहराता है;

(ख) क्या यह 15 करोड़ कामगारों को प्रभावित करता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इससे श्रमिकों को 7500 करोड़ रुपये की हानि होती है चूंकि यह राशि उन्हें न्यूनतम वेतन में वृद्धि के रूप में मिलती ?

**उत्तर**

**श्रम और रोजगार राज्य मंत्री**

**(श्री रामेश्वर तेली)**

(क) से (ग): केंद्रीय क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी के संशोधन को टाला नहीं गया है। केंद्र सरकार, केंद्रीय क्षेत्र में अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी की मूल दरों में प्रत्येक पांच वर्ष में संशोधन करती है जैसा कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 3(1)(ख) के अंतर्गत तय किया गया है। केंद्रीय क्षेत्र में अनुसूचित नियोजनों के लिए न्यूनतम मजदूरी की मूल दर को अंतिम बार वर्ष 2017 में संशोधित किया गया था। इसके अतिरिक्त, मुद्रास्फीति से न्यूनतम मजदूरी को संरक्षित करने के लिए, केंद्र सरकार, औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर प्रत्येक वर्ष हर छह महीने में 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से न्यूनतम मजदूरी की मूल दरों पर परिवर्ती मंहगाई भत्ते (वीडीए) को संशोधित करती है और तद्नुसार, इसे अंतिम बार 01.10.2021 को संशोधित किया गया था। दिनांक 01.04.2021 से 01.10.2021 तक वीडीए में संशोधन के कारण बढ़ी हुई मजदूरी की दरों को दर्शाने वाला विवरण अनुबंध-'क' पर है।

* ****

**दिनांक 06.12.2021 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1176 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध**

दिनांक 01.04.2021 से 01.10.2021 तक वीडीए में संशोधन के कारण मजदूरी की बढ़ी हुई दरों को दर्शाने वाला विवरण।

| अनुसूचित नियोजन का नाम | कामगार की श्रेणी | प्रतिदिन परिवर्ती मंहगाई भत्ते सहित मजदूरी की दरें (रुपये में) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | क्षेत्र-क | | क्षेत्र ख | | क्षेत्र ग | |
| | | 01.04.2021 की स्थिति के अनुसार | 01.10.2021 की स्थिति के अनुसार | 01.04.2021 की स्थिति के अनुसार | 01.10.2021 की स्थिति के अनुसार | 01.04.2021 की स्थिति के अनुसार | 01.10.2021 की स्थिति के अनुसार |
| 1. कृषि | अकुशल | 411 | 417 | 375 | 380 | 372 | 377 |
| | अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षीय | 449 | 455 | 413 | 419 | 379 | 384 |
| | कुशल/लिपिकीय | 488 | 495 | 449 | 455 | 412 | 418 |
| | अतिकुशल | 540 | 547 | 502 | 509 | 449 | 455 |
| 2. पत्थर खान | 1. उत्खनन एवं 50मीटर लीड/1.5मीटर ऊंचाई सहित अधिक भार को हटाने में (प्रति 2.831 क्यूबिक मीटर/100 क्यूबिक फीट): | | | | | | |
| | | 01.04.2021 की स्थिति के अनुसार | | | 01.10.2021 की स्थिति के अनुसार | | |
| | (क) नरम मिट्टी | 435 | | | 441 | | |
| | (ख) पत्थर सहित नरम मिट्टी | 654 | | | 663 | | |
| | (ग) कंकड़ | 866 | | | 878 | | |
| | 2. हटाने एवं 50 मीटर लीड/1.5 मीटर ऊंचाई सहित छाटे गये पत्थरों को जमा करने में (प्रति 2.831 क्यूबिक मीटर/100 क्यूबिक फीट): | 349 | | | 354 | | |
| | 3. एक समान आकार में पत्थर तोड़ने अथवा पत्थर पीसने के लिए (प्रति ट्रक 5.662 क्यूबिक मीटर/200 क्यूबिक फीट लोड): | | | | | | |
| | (क) 1.0 इंच से 1.5 इंच | 2666 | | | 2701 | | |
| | (ख) 1.5 इंच से ऊपर 3.0 इंच तक | 2280 | | | 2310 | | |
| | (ग) 3.0 इंच से ऊपर 5.0 इंच तक | 1338 | | | 1356 | | |
| | (घ) 5.0 इंच से ऊपर | 1099 | | | 1114 | | |
| | | क्षेत्र-क | | क्षेत्र ख | | क्षेत्र ग | |
| | | 01.04.2021 की स्थिति के अनुसार | 01.10.2021 की स्थिति के अनुसार | 01.04.2021 की स्थिति के अनुसार | 01.10.2021 की स्थिति के अनुसार | 01.04.2021 की स्थिति के अनुसार | 01.10.2021 की स्थिति के अनुसार |
| 3. झाड़ू लगाना एवं सफाई करना* | अकुशल | 645 | 654 | 539 | 546 | 431 | 437 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. पहरा एवं निगरानी | बिना शस्त्र के | 784 | 795 | 714 | 724 | 609 | 617 |
| | सशत्र सहित | 853 | 864 | 784 | 795 | 714 | 724 |
| 5. लादना एवं उतारना# | अकुशल | 645 | 654 | 539 | 546 | 431 | 437 |
| 6. निर्माण^ | अकुशल | 645 | 654 | 539 | 546 | 431 | 437 |
| | अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षीय | 714 | 724 | 609 | 617 | 505 | 512 |
| | कुशल/लिपिकीय | 784 | 795 | 714 | 724 | 609 | 617 |
| | अति कुशल | 853 | 864 | 784 | 795 | 714 | 724 |
| 7. गैर-कोयला खानें$ | | भूमि के ऊपर | | | भूमि के नीचे | | |
| | | 01.04.2021 की स्थिति के अनुसार | 01.10.2021 की स्थिति के अनुसार | | 01.04.2021 की स्थिति के अनुसार | 01.10.2021 की स्थिति के अनुसार | |
| | अकुशल | 431 | 437 | | 539 | 546 | |
| | अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षीय | 539 | 546 | | 645 | 654 | |
| | कुशल/लिपिकीय | 645 | 654 | | 752 | 762 | |
| | अति कुशल | 752 | 762 | | 840 | 851 | |

*हाथ से मल साफ करने हेतु नियोजन और सूखे शौचालयों का निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम,1993 के अंतर्गत निषिद्ध कार्यों को छोड़कर झाड़ू लगाने एवं सफाई करने के कार्य संबंधी नियोजन में लगे कर्मचारी।

# एयरपोर्ट्स (अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू दोनों) पर (i) रेलवे के गुड्स शेड्स, पार्सल कार्यालय; (ii) अन्य गुड्स-शेडस,गोदामों, वेयर हाउसों एवं अन्य ऐसे नियोजन; (iii)गोदी एवं पत्तन; और (iv) यात्री गुड्स एवं कार्गो लादने एवं उतारने संबंधी कार्य के नियोजन में लगे कर्मचारी।

^निर्माण अथवा सड़कों का अनुरक्षण अथवा रनवे अथवा भूमिगत बिजली, वायरलेस, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीग्राफ तथा विदेशी दूरसंचार से जुड़े तारों को बिछाने सहित भवन कार्य एवं अन्य समरूप भूमिगत तार लगाने बिजली की लाइन, जलआपूर्ति की लाइन तथा सिवरेज पाइप लाइनों के कार्य में लगे कर्मचारी।

$जिप्समखान, बेराइट्सखान, बाक्साइटखान, मैग्नीज, चीनीमिट्टी, केनाइट, तांबा, क्ले, मैंग्नेसाइट, व्हाईटक्ले, पत्थर, स्टीएटाइट खान (खानों में उत्पन्न होने वाले साबुन, पत्थर एवं पाउडर सहित),ऑशर, एसबेसटस, फायरक्ले, क्रोमाइट, क्वार्टजाइट, क्वार्टज, सिलिका, ग्रेफाइट, फेल्सपर, लेटेराइट, डोलोमाइट, रेडआक्साइड, वोल्फ्रेम, लौह-अयस्क, ग्रेनाइट, रॉकफास्फेट, हेमाटाइट, मार्बल एवं कैल्साइट, यूरेनियम, अभ्रक, लिग्नाइट, ग्रेवल, स्लेट तथा मैग्नेटाइट खान के नियोजन में कार्यरत कर्मचारी।

****